एक राज्य से दूसरे राज्य में कृषि उत्पादों का निर्बाध रूप से लाया-ले जाया जाना

652. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य में कृषि उत्पादों को निर्बाध रूप से लाने-ले जाने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या कार्य किया जाता है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, खाद्यान्नों (गेहूं, धान, लेवी मुक्त चावल, मोटे अनाजों और दालों) के अन्तर्राज्यीय और अन्तःराज्यीय संचालन के लिये समस्त देश को एकल खाद्य जोन माना जाता है । सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को 26-3-1993 को समस्त देश को एकल खाद्य जोन मानने की इस राष्ट्रीय नीति के बारे में सूचित कर दिया गया था । उनसे अनुरोध किया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि खाद्यान्नों के संचलन में कोई बाधायें नहीं होती हैं । उन्हें यह भी परामर्श दिया गया था कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेज कर खाद्यान्नों के अन्तर्राज्यीय और अन्तःराज्यीय संचलन में बाधायें डालने वाले सांविधिक प्रतिबन्धित प्रावधानों को हटा दें । इसके प्रत्युत्तर में आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, पांडिचेरी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने सूचित किया है कि उन्होंने खाद्यान्नों के संचलन पर कुछ प्रतिबन्ध लगाय हुए हैं । इन राज्यों से पुनः अनुरोध किया गया है कि वे खाद्यान्नों के संचलन पर लगाये गये वर्तमान प्रतिबन्धों को हटा दें, ताकि वे देश भर में खाद्यान्नों का मुक्त संचलन करने की राष्ट्रीय नीति का अनुसरण कर सकें । तमिलनाडु, नागालैण्ड, जम्मू और काश्मीर, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर तथा नगर हवेली की सरकारों, चण्डीगढ़ प्रशासन और लक्षद्वीप सरकारों से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उन्हें इस संबंध में अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं । शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि उन्होंने खाद्यान्नों के संचलन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये हैं ।

Subsidy on Fertilizers

653. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE :
SHRIMATI VEENA VERMA :
SHRI RAJNI RANJAN SAHU :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have since taken a decision on the proposal for enhancing the subsidy on phosphate and other fertilizers;

(b) if so, the details in this regard ; and

(c) the total estimated expenditure likely to be incurred on fertiliser subsidy during the current year ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : (a) to (c) The Government have decided to continue the scheme of concession of Rs. 1,000/- per tonne on sale of M.O.P. and indigenous D.A.P.; and between Rs. 435—999/- per tonne on indigenous Complexes. In addition during the current year Rs. 340/- per tonne on SSP has also been included. A provision of Rs. 756/- crores has been made for 1993-94 comprising